



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25052026-272843
CG-DL-W-25052026-272843

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, मई 17—मई 23, 2026, शनिवार/वैशाख 27—ज्येष्ठ 2, 1948
No. 5] NEW DELHI, MAY 17—MAY 23, 2026, SATURDAY/VAISAKHA 27—JYAISHTHA 2, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सेना कार्यालय अधीक्षक, सेना इंजीनियरी सेवा/सेना इंजीनियरी महाविद्यालय/इंजीनियर केन्द्रों से भिन्न समूह 'ख' पद भर्ती नियम - 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना कार्यालय अधीक्षक सेना इंजीनियरी सेवा/सेना इंजीनियरी महाविद्यालय/इंजीनियर केन्द्रों से भिन्न समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम - 2026 है।
- (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
2. रक्षा मंत्रालय में सेना कार्यालय अधीक्षक (सेना इंजीनियरी) सेवा/सेना इंजीनियरी महाविद्यालय/इंजीनियर केन्द्रों से भिन्न समूह - 'ख' पद भर्ती संशोधन नियम - 2013 की अनुसूची में :-

- (i) स्तंभ (4) में, इससे संबंधित शीर्षक और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर “
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400-112400 रूपए)

- (i) स्तंभ (11) में, -

(क) उप-शीर्षक प्रोन्नति के अधीन

- (i) वेतन बैंड 1 में वेतनमान 5200-20200 रूपए + ग्रेड वेतन 2400 रु शब्दों, अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25500-81000 रूपए)” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

- (ii) टिप्पण – 2 : के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण ,रखा जाएगा अर्थात् :-

टिप्पण – 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2016 से या उस तारीख से जिससे पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स पर की गई सेवा समझी जाएगी।

- (ख) उप शीर्षक “प्रतिनियुक्ति” के अधीन :-

- (i) खंड (क) के उपखंड (ii) में शब्द, अक्षर और अंक “वेतन बैंड – 1’ के वेतनमान 5200-20200 रूपए + ग्रेड वेतन 2400 रु” शब्दों, अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25500 – 81000 रूपए) शब्द, अक्षर, कोष्ठक तथा अंक रखे जाएंगे,

- (ii) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण ,रखा जाएगा अर्थात् :-

“टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर, नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2016 से पूर्व या उस तारीख से, जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को “सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है” उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. 15204/4/एजी/एम. पी. – 4 (सिव) (ए)/आर.आर./ /र. (नि.) 2026]

एं .पी .हरिनारायणन, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र, भाग – II खंड – 4 में का. नि. आ. – 29, तारीख 17 मई 2013 द्वारा, तारीख 26 जून 2013 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th March, 2026

S.R.O. 12.—In exercise of the powers conferred by the provision to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend Ministry of Defence, Army Office Superintendent (other than Military Engineering Service or College of Military Engineering or Engineer Centers) Group ‘B’ Posts Recruitment Rules, 2013, namely; -

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Army Office Superintendent.

(Other than Military Engineering Service or College of Military Engineering or Engineer Centre’s) Group ‘B’ Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Army Office Superintendent (other than Military Engineering Service or College of Military Engineering or Engineer Centre’s) Group ‘B’ Posts Recruitment Rules, 2013, in the Schedule: -

(1) in column (4), for the heading and entries relating thereto, the following column and entries shall be substituted, namely: -

“Level in pay matrix
(4)
Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix”;

(2) in column (11), -

(a) under the sub-heading “promotion”, -

(i) For the words, letters and figure “Pay Scale of Rs. 5200-20200 with the grade pay of Rs. 2400 in PB-1”, for the words, figures, brackets and letters “Level-4(Rs. 25500-81100) in the pay matrix” shall be substituted;

(ii) For the Note 2, the following note shall be substituted, namely: -

“**Note 2;** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the Commission.”;

(b) under the sub-heading “Deputation”, -

(i) in clause (a), in sub-clause(ii) for the words, letters and figure “Pay Scale of Rs. 5200-20200 with the grade pay of Rs. 2400 in Pay Band-1”, the words, figures, brackets and letters “Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix “shall be substituted;

(ii) for the Note, the following note shall be substituted, namely: -

“Note; For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay in the pay matrix extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of the pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.”

F. No 15204/4/AG/MP-4(Civ)(a)/RR/ /D(Appt)/2026

M.P. HARINARAYANAN, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide S.R.O 29, dated the 17th May, 2013, in Gazette of India, Part-II, Section 4, dated the 26th June, 2013

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2026

का.नि.आ. 13.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय, सैन्य कार्य विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम/पता	संबंधित अंतर सेवा संगठन
1.	मुख्यालय 39 कवचित उपखंड पिन - 908039, मार्फत 56 सेना डाकघर	एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना)
2.	वायु सेना स्टेशन, बेगमपेट	एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (वायु सेना)

[फा. सं. 1(2)/2024-रक्षा (रा.भा.1)]

अनिल कुमार छापोलिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2026

S.R.O. 13.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of Ministry of Defence, D/o Military Affairs, more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :-

Sr. No.	Name and address of the offices	Concerned ISO
1.	HQ 39 Armd Bde, PIN - 908039, C/O 56 APO	Integrated HQ (Army)
2.	Air Force Station, Begumpet	Integrated HQ (Air Force)

[F. No. 1(2)/2024-D(OL-1)]

ANIL KUMAR CHHAPOLIA, Jt. Secy.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

का.नि.आ. 14.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम(4)के अनुसरण में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

राजाबगान डॉकयार्ड यूनिट

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड

44, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700044

[फा. सं. 5(2)/2022-रक्षा (रा.भा.-2)]

मीरा मोहंती, संयुक्त सचिव

(Department of Defence Production)**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2026

S.R.O. 14.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. more than 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:-

Rajabagan Dockyard Unit

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.

44, Garden Reach Road, Kolkata - 700044

[F. No. 5 (2) /2022-D (OL-2)]

MEERA MOHANTY, Jt. Secy.

(रक्षा उत्पादन विभाग)**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

का.नि.आ. 15.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम(4)के अनुसरण में मानकीकरण निदेशालय के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

रक्षा मानकीकरण सेल

रक्षा मानक भवन, डिफेंस कैम्पिंग ग्राउंड

बदरपुर, नई दिल्ली - 110044

[फा. सं. 5(2)/2022-रक्षा (रा.भा.-2)]

मीरा मोहंती, संयुक्त सचिव

(Department of Defence Production)**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2026

S.R.O. 15.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Directorate Of Standardisation, more than 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:-

Defence Standardisation Cell

Raksha Manak Bhawan, Defence Camping Ground

Badarpur, New Delhi - 110044

[F. No. 5 (2) /2022-D (OL-2)]

MEERA MOHANTY, Jt. Secy.